2025/106

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण संख्या – 52/2025

राज्य सरकार बनाम ग्राम निटूटी का ख0न0 986/967

–:आदेशः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम निटूटी पटवार हल्का निटूटी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रूपनगढ़ के ख0न0 986/967 में मौके पर चालू 530 मीटर लम्बाई के रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने बाबत् तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। तदनुसार तहसीलदार रूपनगढ़ को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश करने पर पत्रांक/राजस्व/2025/1352 दिनांक 29.07.2025 से तहसीलदार रूपनगढ़ से पुनः रिपोर्ट मंगवाई गयी। तहसीलदार रूपनगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम निटूटी के ख0न0 986/967 रकबा 45.7989 किस्म गै0मु0छापर, बंजर–2, बारानी–2 में से 0.3180 हैक्ट. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (रास्ते) हेतु गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दर्शाया गया नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)